सं 11 / 197/2016-ईएंडएमडीए

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
ईएंडएमडीए अनुभाग
****

नई दिल्ली, 16 फरवरी,2018

बाजार पहुँच पहल योजना, 2018

1. **उद्देश्य**: निर्यात को बढ़ावा देने और नए बाजारों की खोज तथा वस्तुओं एवं सेवाओ के निर्यात उन्मुख गतिविधियोंको बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा आवश्यकहस्तक्षेप का समाधानकरने के लिए उत्प्रेरक भूमिका निभाने की योजना।

2 **विषयक्षेत्र: :** आयातकरने वाले बाजारोंमें विपणन,बाजारअनुसंधान,क्षमतानिर्माण ,ब्रांडिंग और वैधानिक अनुपालनके लिये किसी भी प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्षगतिविधियोंसहित योजना में शामिल विभिन्न बाजार पहुंच पहलों के लिएपात्र एजेंसियों को वित्तीयसहायताप्रदानकरना। इस योजनामें पूर्ववर्ती बाजारपहुंच पहलयोजनाऔर विपणन विकाससहायतायोजनादोनों के कार्य क्षेत्र को शामिलकरने की परिकल्पनाहै।

3. योजना का संचालन

3.1 पात्र एजेंसियां: जब तक अन्यथा एक विशिष्ट प्रावधान के तहत निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, योजना निम्नलिखित संगठन / एजेंसियां के लिए खुली है :

- केंद्रीय सरकार के विभाग तथा विदेश में भारतीय मिशनों सहित केंद्रीय / राज्य सरकारों के संगठन
- निर्यात संवर्धन परिषदें
- पंजीकृत व्यापार संवर्धन संगठन
- वाणिज्य विभाग के तहत पण्य वस्तु बोर्ड
- भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति के तहत मान्यता प्राप्त एपेक्स ट्रेड निकाय
- मान्यता प्राप्त औद्योगिक और कारीगर क्लस्टर
- व्यक्तिगत निर्यातकों (केवल जहां विशेष रूप से इंगित हो)
- राष्ट्रीय स्तर के संस्थान (उदाहरण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी, एनआईएफटी आदि) अनुसंधान संस्थान / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाएं, आदि।

3.2 स्वीकृति के लिए मानदंड

3.2.1 बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना बाजार - उत्पाद / सेवा दृष्टिकोण पर आधारित है और पात्र एजेंसियों को विभिन्न प्रावधानों के तहत बाजार पहुंच के लिए बाजार का उपयोग करने हेतु वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर एक व्यापक परियोजना प्रस्तुत करनी चाहिए।

3.2.2 अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी के लाभों को अधिकतम करने के लिए इस तरह के प्रयासों को प्रभावी प्रचार अभियान, सेमिनारों, खरीदार–विक्रेता बैठकों आदि के साथ

जोड़ना चाहिए। ।

3.2.3 योजना के तहत पात्र गतिविधियों से युक्त परियोजना प्रस्ताव को योग्य एजेंसियों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार वाणिज्य विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा ।

3.3 जांच और स्वीकृति

3.3.1 एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) होगी जो प्रस्तावों पर विचार करेगी और अनुमोदन करेगी। अधिकार प्राप्त समिति स्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को भारत सरकार में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धन की मंजूरी के लिए अनुमोदन के अनुसार वित्तीय मंजूरी के लिए व्यक्तिगत रूप से संसाधित किया जाएगा ।

3.3.2 अधिकार प्राप्त समिति योजना के प्रशासन के लिए समय-समय पर निर्देश / दिशानिर्देश जारी करेगी । योजना दिशानिर्देशों की एक प्रति परिशिष्ट पर है।

3.3.3 अधिकार प्राप्त समिति की संरचना इस प्रकार होगी :

- व्यापार सचिव - अध्यक्ष
- महानिदेशक , विदेश व्यापार महानिदेशालय - सदस्य
- अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग - सदस्य
- निदेशक, भारतीय विदेश संस्थान व्यापार - सदस्य
- सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि - सदस्य
- नीति आयोग के प्रतिनिधि - सदस्य
- आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य विभाग - सदस्य
- सचिव एमएसएमई मंत्रालय के प्रतिनिधि - सदस्य
- संयुक्त सचिव, एमएआई प्रशासनिक प्रभाग, वाणिज्य विभाग - संयोजक

डीओसी / एमओटी विशेष में पण्य वस्तु /प्रादेशिक प्रभागों के संयुक्त-सचिव विशेष आमंत्रित सदस्य

3.3.4 समिति जब कभी आवश्यकता होने पर बैठक करेगी। व्यापार में आसानी सुनिश्चित करने के लिए, समिति उपयुक्त प्रदत्त शक्तियों के साथ इस उद्देश्य के लिए बनाई जाने वाली समिति, जैसा कि दिशा निर्देशों में अधिसूचित किया गया हो, कोई भी अधीनस्थ समिति को अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकती है।

3.3.5 ई एंड एमडीए प्रभाग, वाणिज्य विभाग, योजना से संबंधित कार्य का समन्वय करेगा और स्वीकृत निधियों को जारी और उपयोग करने के लिए पात्र एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करेगा।

4 . सहायता का स्तर:

4.1 प्रत्येक परियोजना के लिए वित्त पोषण न्यूनतम 65% से 50% तक के साझा पैटर्न के साथ लागत-साझाकरण आधार पर होगा । हालाँकि, अधिकार प्राप्त समिति , एफ़टीपी में की गई घोषणा

के अनुसार प्रादेशिक अथवा उत्पाद केंद्रित की अनुमति देने के लिए साझाकरण पैटर्न वृद्धि या संक्षेपण पर विचार कर सकती है ।

4.2 निम्नलिखित अवयव के लिए सहायता स्वीकार्य होगी :

क्र. सं	अवयव	व्यय की योग्य मदें
1.	**विदेश में मेलों/ प्रदर्शनियों/ भाग लेना क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन भाग लेना**	(i) आयोजन व्यय सहित स्थान लागत व्यय, (ii) कार्यक्रम के लिए प्रचार लागत (iii) कैटलॉग / मुद्रित और डिजिटल सामग्री की लागत (iv) अनुवाद और व्याख्याकार प्रभार । (v) एक अधिसूचित सीमा से कम निर्यात के एफ.ओ.बी मूल्य वाली निर्यातक कंपनियों को हवाई किराया की प्रतिपूर्ति । (vi) प्रदर्शनी के लिए माल ढुलाई शुल्क व्यय । (vii) अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विशिष्ट घटक ।
2.	**रिवर्स क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजनकरना [मेड इन इंडिया शो]**	(i) आयोजन व्यय समेत स्थान लागत व्यय, (ii) कार्यक्रम के लिए प्रचार लागत (iii) कैटलॉग / मुद्रित और डिजिटल सामग्री की लागत (iv) अनुवाद और व्याख्याकार प्रभार (v) विदेशी आगंतुक के लिये वायु यात्रा तथा होटल में रहने का लागत (vi) सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कोई अन्य विशिष्ट घटक ।
3.	**विदेश में शोरूम, गोदाम और विपणन कार्यालय का उदघाटन और अंतर्राष्ट्रीय डीपार्टमेंटल स्टोर में प्रदर्शन**	(i) विशिष्ट बाजारों के लिए विदेशों में शोरूम / गोदाम / विपणन कार्यालय स्थापित करने के लिए संपत्ति पट्टे / किराये का प्रभार; (ii) शोरूम / गोदामों की स्थापना की लागत (iii) अंतरराष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोर्स या स्थानीय वितरण नेटवर्क में प्रदर्शनी स्थल के किराया शुल्क

4.	**प्रचार अभियान और सूचीकरण**	(i) विभिन्न तरीकों से बाजारों के माध्यम से अभिज्ञात बाजारों में वस्तुओं / सेवाओं के लिए प्रचार अभियान (ii) केंद्रित बाजारों में उपयोग के लिए अभिज्ञात की गई वस्तुओं / सेवाओं के लिए वैश्विक मानकों का कैटलॉग ।
5.	**अनुसंधान और उत्पाद विकास**	(i) वैश्विक बाजारों में विकसित रुझान के अनुसार उच्च प्रौद्योगिकी मूल्य की वस्तुओं का विकास करने के लिए सुविधाओं का आधुनिकीकरण और उन्नयन (ii) परियोजना के लिए तकनीकी विशेषज्ञों / कंसल्टेंट्स / डिजाइनरों के लिए शुल्क / सेवा शुल्क (परामर्श / समन्वय शुल्क परियोजना लागत के 2% से अधिक नहीं हो)।
6.	**गुणवत्ता उन्नयन के लिए क्षमता निर्माण**	पण्यवस्तु / सेवा क्षेत्रों के मौजूदा या स्थापित किए जाने वाले हब में क्वालिटी सर्टिफिकेशन लैब्स, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, डिजाइन सेंटर स्थापित करने के लिए सहायता।
7.	**निर्यातकों की क्षमता का विकास**	(i) अध्ययन सामग्री का विकास करना
		(ii) सेमिनार / कार्यशाला, आदि समेत प्रशिक्षकों तथा निर्यातकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।। (iii) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार वार्ता / उत्पाद संशोधनों की सुविधा के लिए निर्यात बाजार में सलाहकार / डिजाइनर / तकनीकी विशेषज्ञ को नियुक्त करना
8.	**क्रेता देश में वैधानिक अनुपालन**	(i) फार्मास्यूटिकल्स, जैव-प्रौद्योगिकी, रसायन / कृषि-रसायन, कृषि / पशु / समुद्री उत्पाद, खाद्य उत्पाद आदि के मामले में भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क । (ii) दवा उत्पादों, उपकरणों, चिकित्सा उपभोग्य / डिस्पोज़ेबल्स सामग्रियों आदि के लिए नैदानिक परीक्षणों;डेटा सत्यापन आदि को पूरा करने के लिए किए गए व्यय । (iii) ड्रग मास्टर फ़ाइल (डी एमएफ) और संक्षिप्त नई दवा अनुप्रयोग (एएनडीए) के

		संबंध में निर्दिष्ट बाजारों में बाजार पहुंच के लिए फाइलिंग शुल्क (iv) फार्मास्युटिकल निर्यात के लिए भारत में जैव तुल्यता अध्ययन ; (v) फार्मास्युटिकल उत्पादों के संबंध में पेटेंट फाइलिंग से संबंधित पेटेंट फाइलिंग और क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण ; (vi) इंजीनियरिंग उत्पादों के परीक्षण शुल्क (ईईपीसी इंडिया के सामने एफटीपी में इंगित उत्पादों तक सीमित) जिनमें निर्यात के लिए विदेश में अनिवार्य परीक्षण की आवश्यकता होती है । (vii) सेवा क्षेत्र के लिए विनियामक आवश्यकताएँ।
9.	**पाटनरोधी,एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य जांच / अनुपालन**	निर्यात बाजार में प्रतिबंधों / पाटन रोधी शुल्कों / सीवीडी / एसजी शुल्कों के मामलों के बारे में, भारतीय मूल के विशेष उत्पाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ कंप्लायंस आदि में मुकदमेबाजी लागत ।
10.	**विदेशी व्यापार सुगमता पोर्टल विकसित करना**	बाजार विशिष्ट, उत्पाद / सेवाएं विशिष्ट व्यापार जानकारी इकट्ठा करने के लिए व्यापार सुविधा पोर्टल का सृजन
11.	**बाजार अध्ययन**	(i) अधिक बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से बाजार / उत्पाद संबंधी अध्ययन (ii) राज्य के लिए संभावित निर्यातसर्वेक्षण (iii) द्विपक्षीय या बहुपक्षीय विदेशी व्यापार अध्ययन के साथ-साथ जेएसजी / एफटीए / आरटीए / डब्ल्यूटीओ से संबंधित अन्य प्रासंगिक अध्ययन (iv) योजना के लक्ष्य बढ़ाने के लिए कोई अन्य अध्ययन
12	**कोई अन्य गतिविधि ,जो योजना में निर्दिष्ट नहीं हो**	जैसा कि अधिकार प्राप्त समिति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और योजना के कार्य क्षेत्र और उद्देश्य के अनुरूप है ।

4.3 दिशानिर्देशों में समय-समय पर अधिसूचित के अनुसार सहायता की प्रमात्रा होगी।

5. दिशा-निर्देश में परिवर्तन

5.1 अनुमोदित दिशानिर्देशों में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो अधिकार प्राप्त समिति की पूर्व स्वीकृति के साथ होगा। इस तरह के बदलावों में व्यक्तिगत निर्यातक-वार कैप और समग्र उच्चतम सीमा में संशोधन को शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति और एमएआई के बजट की उच्चतम सीमा को ध्यान में रखा जाता है ।

6. निगरानी और समीक्षा

6.1 उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु विभाग / कार्यान्वयन एजेंसियों का मार्गदर्शन करने के लिए, स्वीकृत परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन कार्य किया जाएगा। एम एंड ई को आईआईएफटी, एनसीएईआर, आईसीआरआईईआर, आईआईएमएस, आईआईटी, आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से बनाया और कार्यान्वित किया जाएगा।

6.2 योजना के उद्देश्यों की उपलब्धियों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकार प्राप्त समिति समय-समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करेगी और इस योजना को संचालित करने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश बना सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय अनुशासन के कैनन के सिद्धांतों को बनाए रखा गया है और बनाई गई संपत्ति का रखरखाव विधिवत रूप से किया जाता है, समिति परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए एक बाहरी एजेंसी को अधिकृत कर सकती है जैसा कि वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जा सकता है ।

6.3 पात्र एजेंसियां ऐसी रिपोर्ट और ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगी जो दिशानिर्देशों में और/ अथवा कार्यकारी निदेशों के लिए अधिकार -प्रदत्त समिति द्वारा निर्धारित हैं ।

6.4 अधिकार प्राप्त समिति परियोजनाओं की नियमित मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए आवश्यक संसाधन सौंपेगी जो वार्षिक बजट के 2 % से ज्यादा नहीं होंगे ।

7. स्कीम वैधता

7.1 स्कीम 31.3.2020 तक वैध है।

*****

एमआईए स्कीम 2018 का परिशिष्ट

सं.11/197/2016-ई एवं एमडीए
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
ई एवं एमडीए प्रभाग
*****

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 16 फरवरी,2018

एमएआई स्कीम के तहत वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश

भाग I : प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण के लिए सामान्य दिशानिर्देश ।

1.1 प्रस्तावों का प्रस्तुतिकरण : स्कीम के तहत सहायता प्राप्त करने की इच्छुक पात्र एजेंसी संबंधित वस्तु/ क्षेत्रीय प्रभाग के जरिए पूर्ण प्रस्तावों (निर्धारित प्रारूप के अनुसार) को ई एवं एमडीए प्रभाग को भेजेगी । बाजार अध्ययन सहित सभी प्रस्तावों पर यह लागू होगा। [आवेदन के लिए आनलाईन फार्म अनुबंध - I- III पर है] ।

1.2 प्रस्तावों का निरीक्षण : प्रस्तावों का पहले निरीक्षण संबंधित वस्तु /क्षेत्रीय प्रभाग द्वारा किया जाएगा। सेवा क्षेत्रसे संबंधित प्रस्ताव सेवा निर्यात प्रभाग के जरिए भेजी जाएगी। इसके पश्चात संयुक्त सचिव ई एवं एमडीए की अध्यक्षता में उप समिति (उप समितियों) (एससी) प्रभाग द्वारा संस्तुत प्रस्ताव पर विचार -विमर्श करेगी और अधिकार - प्राप्त समिति को इस पर सिफारिशें होंगी। उप -समिति का गठन अनुबंध IV में है । उप समिति एवं अधिकार प्राप्त समिति किसी प्रस्ताव पर स्वयं भी संज्ञान ले सकती है।

1.3 जहां तक संभव हो क्षेत्रीय प्रभाग वस्तु प्रभाग के समन्वय से एक क्षेत्र के सभी प्रस्तावों का सम्मिलित सुनिश्चयन करे। एस सी की बैठकों में आयोजित वार्ताओं में एससी बैठकोंकिए गए विचार विमर्श के आधार पर क्षेत्र-वार, सम्मिलित सुनिश्चित करेगी।

1.4 दूतावासों से परामर्श : संबंधित दूतावासों को इस प्रक्रिया में शुरू से ही शामिल कर लिया जाए ताकि इंडिया ब्राण्ड के तहत आयोजन सफल हो। वाणिज्य विभाग में संबंधित क्षेत्रीय प्रभाग को इसके लिए अधिदेश दिया गया है और संबंधित एजेंसियां क्षेत्रीय प्रभाग के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेगी।

1.5 उत्पाद विशिष्टता: विदेश में आयोजनों और मेड इन इंडिया शो (आरबीएसएम) में भागीदारी के लिए, ईपीसीएसके अलावा, व्यापार संगठनों से संगठन के भीतर विशेषज्ञता विकसित करने के जरिए ऐसे वर्टिकल /बाजारों पर मूल क्षमता विकसित करने की अपेक्षा भी होगी । [संगठन वार, निर्मित वस्तु/सेवाएं वर्टिकल अनुबंध V में है ।]

1.6 वस्तु मैट्रिक्स : उभरती प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए यदि आवश्यक हो तो विभिन्न व्यापार संगठनों के प्रयासों के समन्वित करके वस्तुओं एवं संबंधित सेवाओं को संयुक्त रूप से कवर करते हुए प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जा सकता है।

1.7 राज्य विशिष्ट आयोजनों को निरूस्ताहित किया जाए जब तक कि घटक राष्ट्रीय स्तर की महत्ता का न हो।

1.8 दीर्घावधि योजना : वस्तु प्रभागों के परामर्श से क्षेत्रीय प्रभाग नए बाजारों में प्रेवश के साथ-साथ आयोजनों के रोटेशन को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में आयोजनों की भागीदारी के लिए तीन वर्षों से पांच वर्षों के लिए कैलेंडर तैयार करेंगी। संयुक्त प्रयासों के आधार पर क्षेत्र में नए आयोजनों को अभिज्ञात करने के लिए संगठित प्रयास करने होंगे।

1.9 ब्रांडिग : डीओसी पहलों के भाग के रूप में प्रतिभागियों की ब्रांडिग फॉर फेसिया इत्यादि आईबीईएफ द्वारा तैयार की जा रही है और आईबीईएफ द्वारा विनिर्दिष्ट आदशों के अनुसार यह सरकार द्वारा वित्तपोषित आयोजनों में सभी प्रतिभागियों / संगठनों से ब्रांड इंडिया तक के लिए आवश्यक होगा। ईपीसीएस/व्यापार निकायों को ऐसी ब्रांडिग में तेजी लाने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि राष्ट्रीय महत्ता के सभी अन्य आयोजनों में यह दुहराया जाए।

मूल एवं प्रमुख आयोजनों के लिए ब्रांडिग आईबीईएफ द्वारा की जाएगी और ऐसी ब्रांडिग के लिए यदि आवश्यक हो तो, एमएआई आईबीईएफ को संसाधन उपलब्ध कराएगी।

1.10 हितों का टकराव: प्रबंधन द्वारा दिए गए किसी करार के लिए किसी विवाद को टालने और सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी आयोजन के लिए नियुक्त एजेंसी को पारदर्शी करार देने में पारदर्शिता के लिए ऐसी एजेंसी को निधि विमुक्ति से पहले ईपीसी / व्यापार निकाय विभाग को प्रमाण पत्र देना होगा जिससे ऐसे करार को करने में हितों का प्रकटन हो ।

1.11 स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन: स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन करने पर नेशनल फोकस को ध्यान में रखते हुए , जहां तक संभव हो स्टार्ट अप भागीदारों के लिए अलब से क्षेत्र निर्धारित किया जाए ।

भाग ।। घटक विशिष्ट दिशा निर्देश

विदेश में आयोजन

2.1 **न्यूनतम प्रतिभागी :** विदेश में आयोजन में भागीदारी के लिए कुछ छोटे सेक्टरों के मामलों को छोड़कर किसी प्रस्ताव पर विचार - विमर्श के लिए न्यूनतम 50 प्रदर्शक / निर्यातक निर्धारित हो । नए बाजारों के लिए 50 प्रतिभागियों से कम के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है यदि बाजार /वस्तुओं/सेवाओं के लिए स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया जाए । कम प्रतिभागिता के कारण आवेदन में भी दर्शाएं जाएं ।

2.2 **किसी आयोजन में अनुमत प्रतिभागियों की संख्या :** यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कीम का लाभ बड़ी संख्या में निर्यातकों तक पहुँचे किसी विशेष ट्रेड फेयर/प्रदर्शन में अधिकतम 3 भागीदारी एमएआई सहायता के लिए पात्र होंगी अर्थात जिन सदस्यों ने किसी विशेष मेले / प्रदर्शन के लिए तीन बार (पिछले मामलों सहित) सहायता ले ली हो, उसके बाद उन्हें मेले में खुद के खर्चे पर भागीदारी

करनी होगी /ईपीसी/व्यापार निकाय यह सुनिश्चित कर के एमएआई वित्त पोषण समर्थन वर्ष में अधिकतम दो आयोजन के लिए सदस्य/प्रतिभागी कंपनी को उपलब्ध कराया जाए ।

2.3 **संयुक्त आयोजन :** एक आयोजन में भागीदारी कर रही विभिन्न एजेन्सियों को आपस में मिलकर अधिकतम प्रतिभागिता के प्रयास किए जाए । ऐसे संयुक्त प्रतिभागिता के लिए विस्तृत दिशा – निर्देश अनुबंध – IV पर हैं ।

2.4 जिन बाजारों के महत्वपूर्ण आयोजनों के लिए अभिज्ञात नहीं किया गया है और पर्याप्त संख्या में भागीदारी के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया, ईपीसी क्रेता – विक्रेता प्रक्रिया के लिए ऐसी बाजारों में व्यापार शिष्टमंडल प्रस्तावित करना सुनिश्चित करेगी । वस्तु प्रभाग द्वारा ऐसे व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को सुनिश्चित किया जाएगा जहां विनियामक प्रतिबंध विधमान हों (ताकि निर्यातक बाजार में ऐसे विनियामक आवश्यकताओं पर वार्त्ता कर सकें /समझा सकें) । ऐसी सूचियां प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से तैयार की जाएगी और ईएण्डएमडीए प्रभाग के साथ बांटी जाएगीं ।

2.5 प्रतिभागी एजेन्सियां सुनिश्चित करेगी कि स्पेस हायरिंग और इंडिया ब्रांडिंग इस आयोजन के लिए सांझा है और यह भी कि अलग से पेवेलियन तब तक नही बनाए जाएंगे जब तक कि विशिष्ट वर्टिकल से संबंधित पेवेलियन में भागीदारी न हो । जहां दो एजेन्सियों को संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, वृहत भागीदारी करने वाली एजेंसी आयोजन के लिए प्रमुख एजेंसी होगी, मुख्यता स्पेस बुकिंग के उद्देश्य के लिए ।

2.6 प्रस्तावों में अपनी निधियों से और सरकारी वित्तपोषण से प्रतिभागिता करने वाले प्रतिभागियों को अलग से इंगित किया जाएग । स्थापित आयोजन में जहां भारतीय कंपनिया खुद ही भागीदारी करती हैं, वहां ऐसे प्रतिभागियों को भारतीय पेवेलियन के पास / तहत शामिल किया जाने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि एक छत के नीचे वृहत उपस्थिति सुनिश्चित हो सके ।

2.7 **3 वर्षों के लिए प्रतिभागिता के जरिए क्यूरेट किए जाने वाले प्रदर्शनों हेतु वित्त पोषण :** सामान्यतया ईपीसी/ व्यापार निकायों को, जिन्हें 3 वर्षों के लिए एक आयोजन/स्थान पर बार – बार होने वाले प्रदर्शनियों के लिए सहायता दी जाती थी, उन्हें अब सरकार द्वारा वित्त पोषण नहीं जाएगा और व्यापार निकायों से ऐसे आयोजनों में स्वतंत्र रूप से प्रतिभागिता करने की अपेक्षा है अर्थात एक बार आयोजन में बार – बार भागीदारी होने पर, इस उद्देश्य /आयोजन के लिए किसी एजेन्सी से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमति नहीं दी जाएगी /हतोत्सहित किया जाएगा । तथापि उपयुक्त नियम ब्रांड इंडिया स्किल सुनिश्चित करने के लिए विभाग से वस्तु / क्षेत्रीय प्रभागों द्वारा अभिज्ञात प्रमुख आयोजनों पर लागू नहीं होगा । उपर्युक्त उद्दश्यों के लिए, प्रमुख आयोजनों की एक सूची तैयार की जाएगी ।

2.8 **स्थापित आयोजनो के लिए वित्त पोषण :** स्थापित आयोजन के लिए निधियां मांगते समय ईपीसी/व्यापार निकाय को कम से कम सरकारी वित्त पोषण लेना चाहिए और आने वाले समय में प्रदर्शकों से अधिक से अधिक योगदान लेकर प्रदर्शनी को और ज्यादा बढ़ा बनाना चाहिए । क्रेताओं के समर्थन हेतु ऐसे स्थापित आयोजन ने भागीदारी कम होनी चाहिए । (अर्थात सरकारी वित्तपोषण को सहायता प्राप्त् किए बगैर ऐसे आयोजन का प्रस्तुतीकरण पर्यटकों को आकर्षित करे ।

आरबीएसएम

3.1 आरबीएसएम प्रस्ताव : आरबीएसएम प्रस्ताव सभी संगत वर्टिकलों अथवा क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला के सभी संगत उत्पादों को कवर करते हुए प्रस्तुत करने चाहिए ताकि क्षेत्र का मेगा इवेंट सृजित हो सके और भारत के सेन्ट्रिक इवेंट के रूप में ब्रांडेड हो सके । एजेंसियों के लिए वित्त पोषण अलग से किया जा सके और प्रमुख एजेंसी वह होगी जो अधिकतम संख्या में विदेशी क्रेताओं को लाएगी । आरबीएसएम को उप समिति को संस्तुत करने से पहले, वस्तु प्रभाग आरबीएसएम के लिए संबंधित व्यापार संगठन / ईपीसीएम के साथ समन्वय करेंगे । ब्रांड वेल्यू के सृजन के लिए अंतरर्राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित ब्रांडों से संबद्ध किया जा सकता है । जहां तक संभव हो प्रमुख क्षेत्रों जैसे वस्त्र, चमडा, स्वास्थ्य और फार्मा में से प्रत्येक के लिए दो से अधिक आयोजन नहीं लिए जाएं ।

3.2 आरबीएसएम के लिए वित्त पोषण: आरबीएसएम में एक कंपनी से दो से अधिक क्रेता को हवाई यात्रा और होटल के व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं होगी। आदर्श रूप से आयोजक को प्रति कंपनी / संगठन एक क्रेता को सहायता देनी होगी । विदेशी क्रेताओं को ईपीसी / व्यापार निकाय के पास पंजीकृत भारतीय निर्यातकों को संबद्ध नहीं किया जाएगा । (आरबीएसएम के प्रस्तावों में सरकारी समर्थन से वित्त पोषित और स्वयं भागीदारी करने वाले क्रेताओं को अलग से दर्शाएंगे) विदेशी क्रेताओं की मेजबानी के लिए वित्तपोषण एक मुश्त आधार पर होगा जो प्रति क्रेता निर्धारित सीमा और उनकी मेजबानी पर वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, पर होगा ।

8.1 विकसित बाजार के क्रेताओं को आरबीएसएम वित्त पोषण से बाहर रखना : जहां आरबीएसएम के लिए विकसित बाजारों से प्रतिभागिता पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सरकार द्वारा उपलब्ध , यूरोप ,उत्तरपूर्वी एशिया के विकसित बाजारों से विदेशी क्रेताओं की यात्रा पर उपयोग नहीं किया जा सकता। (इस मामले में ली गई कोई भी छूट का स्पष्ट औचित्त ईसी के नोटिस में लाया जाए) । सरकारी शिष्टमंडलों/विकसित देशों के अलावा बाजार से प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

3.3 बी2बी बैठकों के लिए एक प्लेटफार्म विकसित कियाजाना चाहिए । ई पी सी /टीपीबी को क्रेताओं की विश्वसनीयता के संबंध में प्रयास करना चाहिए , संभावित क्रेताओं की एक सूची तैयार करनी चाहिए , इसे भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों के साथ शेयर करना चाहिए और विदेश में स्थित व्यापार संगठनों के सहभागियों से वार्ता करनी चाहिए, ताकि क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को संभावित असामियों के बारे में पहले सूचना मिल सके ।

3.4 किसी आयोजन के पूरा होने के पश्चात कम से कम एक वर्ष तक किसी आरबीएसएम के क्रेताओं और प्रदर्शकों के आंकडे रखने चाहिए । सभी ई पी सी / टीपीबी विदेशी क्रेताओं के आंकडे रखे और सुनिश्चित करे कि एक क्रेता को 3 अवसरों से अधिक सहायता नहीं देनी चाहिए। निधियों में 10 प्रतिशत की छूट आवश्यकता पडने पर महत्वपूर्ण क्रेताओं को दिया जा सकता है ।

3.5 प्रत्येक ई पी सी /टीपीबी को अपने द्वारा अपनाई गई बेहतर/नवोन्मेष पद्धतियों पर प्रकाश डालना चाहिए , जिन्हें अन्य ई पी सी /टीपीबी द्वारा अपनाया जा सकता है ।

3.6 प्रत्येक ई पी सी /टीपीबी सुनिश्चित करेंगे कि आरबीएसएम में विदेशी खरीददार पर्याप्त समय व्यतित करेंगें । क्रेताओं की उपस्थित को सुनिश्चित करने के लिए वापसी योग्य जमा को आरंभ किया जा सकता ।

बाजार अध्ययन

4.1 जब तक दवाबकारी परिस्थितियां न हों, सामान्यता ऐसे विषयों/मुद्दों को नए अध्ययन के लिए चुना जाता है जिन पर पिछले तीन वर्षों तक कोई अध्ययन नहीं किया गया हो । मौजूदा अध्ययनों के अपडेशन के प्रस्तावों पर भी विचारकिया जासकता है । (संबंधित प्रभागों द्वारा इस उद्देश्य के लिए अध्ययनों पर समेकित आंकडे भेजे जाएं)

4.2 नए अध्ययन के प्रस्तावों में संदर्भ, लक्ष्य प्राप्त करने की समय – सीमा, कार्य पद्धति, नमूना आकार (यदि कोई सर्वेक्षण शामिल हो), वित्त इत्यादि के संबंधमें सूचना हो)

4.3 सेवा क्षेत्र से संबंधित किसी व्यापार निकाय द्वारा शुरू किए गए अध्ययनों हेतु किसी प्रस्ताव की विभाग के ई पी सेवा प्रभाग द्वारा पुनरीक्षा/संस्तुति की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि अध्ययन विभाग के अधिदेश/प्राथमिकता क्षेत्रों/कार्यकलापों को पूरा करता हो ।

4.4 अध्ययन करने के लिए संगठनों की निर्देशित सूची अनुबंध – VII पर है ।

<u>सेवाएं</u>

5.1 एमएआई के तहत आयोजनों/कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए सेवा क्षेत्र हेतु एक संगठित योजना के लिए , सेवा क्षेत्र के निम्नलिखित वर्टिकलों वाले वित्तपोषण प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है:

(क) मनोरंजन

(ख) स्वास्थ्य परिचर्चा

(ग) शिक्षा

(घ) संभार तंत्र

(ड.) कानूनी , वास्तुकारी एवं लेखा से संबंधित व्यावसायिक सेवाएं /परामर्श

5.2 पर्यटन और आई टी के लिए , विचार किए जाने वाला कोई भी प्रस्ताव क्रमश: पर्यटन मंत्रालय और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कार्ययोजना के साथ जोडा जाएगा ।

<u>भाग ।।। वित्त पोषण एवं सहायता का स्तर</u>

6.1 सक्षम प्राधिकारी के अनुसार एमएआई के तहत अनुमोदित कार्यकलापों की सहायता का स्तर निम्न प्रकार होगा :-

क्रम सं.	कार्यकलाप	सहायता	विशेष शर्तें यदि कोई हों,
1	विदेशों में मेलों	सीमा : 10 करोड रूपए	शून्य

	/प्रदर्शनियों/बीएसएम में भाग लेना/ आयोजन करना (ईपीसी/टीपीबी)	हिस्सेदारी : 65%; 35 % ii) प्राथमिकता क्षेत्रों (खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, हथकरघा, कालीन , चमडा, खेल सामग्री और छोटे वन उत्पादों सहित कृषि) के लिए 90 % :10 %	
2	अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए हवाई यात्रा के किराए की प्रतिपूर्ति (व्यक्तिगत निर्यातक)	व्यक्तिगत सीमा: अधिकतम 70,000 रू. (एलएसी देशों के लिए 100 ,000 रूपए) हिस्सेदारी: 100 % ईपीसी सीमा : इस खाते पर व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्येक ईपीसी को पिछले तीन वर्षों के औसत के आधार पर 50% की अधिकतम राशि तक सीमित कर दिया जाएगा ।	(i) पिछले वित्तीय वर्ष में 30 करोड रूपए के मूल्य तक के पोत पर्यन्त निशुल्क के निर्यात के ईपीसी के सदस्य हेतु (ii) सदस्यता के 12 वर्ष पूरे करने वाले और ईपीसी * को नियमित रूप से रिटर्न दाखिल करने वाले सदस्यों हेतु (iii) केवल कंपनी ** के नियमित निदेशक/साझेदार/मालिक के लिए स्वीकार्य है । (iv) भारत वापसी के 90 दिनों के भीतर संबंधित ईपीसी/एफआईईओ को दावा प्रपत्र सभी प्रकार से पूरा भरकर प्रस्तुत किया जाए । *गठन की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए किसी नए ई पी सी पर लागू नहीं होता। ** एक विदेशी नागरिक के लिए स्वीकार्य नहीं है ।
3	प्रतिवर्ती क्रेता विक्रेता सम्मेलन (मेड	सीमा : 10 करोड	आरबीएसएम में भाग लेने

	इन इंडिया शो) (ईपीसी/टीपीबी)	हिस्सेदारी (i) 65 प्रतिशत :35 % (i) प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (खाद्य पदार्थों , हस्तशिल्प, हथकरघा, कालीन , चमडा, खेल सामग्री और अल्प वन उपज सहित कृषि) के लिए 90% : 10 % (ii) 100 प्रतिशत हवाई किराया और विदेशी क्रेताओं, व्यापार संवाददाताओं, घर खरीदने वालों, औषध, कृषि ,खाद्य पदार्थ , रसायनों इत्यादि जैसे क्षेत्रों के नियामकों के लिए 75,000/- रूपए की अधिकतम सीमा तक के होटल प्रभार (उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के लिए 1,00,000/-रूपए ।	वाले विदेशी क्रेता निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी के स्तर का होना चाहिए ।
4	विदेशों में शोरूम भण्डागार और विपणन कार्यालयों की स्थापना (ईपीसी/टीपीबी)	सीमा : प्रति बाजार उत्पाद पर प्रति वर्ष 5 करोड हिस्सेदारी प्रथम वर्ष - 75 %:25 % द्वितीय वर्ष - 50 % :50 % तृतीय वर्ष - 35 % : 65 %	i) ईओआई द्वारा प्रमाणित पट्टा/किराया शुल्क ii) बढाई गई अतिरिक्त अवधि दो से अधिक वर्षों के लिए नहीं के लिए पट्टेदारी/किराया शुल्क के लिए 25 % की अतिरिक्त वित्तीय सहायता ।
5	अंतरराष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रदर्शनी (ईपीसी / टीपीबीएस)	सीमा : प्रति वस्तु/सेवाओं पर1 करोड रूपए प्रतिवर्ष हिस्सेदारी: किराया शुल्क का 65 % : 35 %	शून्य
6	प्रचार अभियान एवं ब्रांड संवर्धन (ईपीसी/टीपीबी)	सीमा: 5 करोड रूपए हिस्सेदारी : (i) 65 %	शून्य

		: 35% (ii) प्राथमिकता क्षेत्रों (खाद्य पदार्थों , हस्तशिल्प, हथकरघा, कालीन , चमडा, खेल सामग्री और अल्प वन उत्पाद सहित कृषि) के लिए 90 % : 10%	
7	विश्व स्तरीय केटेलॉग का प्रकाशन (ईपीसी/टीपीबी)	सीमा: प्रति बाजार पर प्रति वर्ष 50 लाख रूपए हिस्सेदारी – 50 % : 50%	ईसी से अनुमोदन के अध्यधीन 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पुन: सहायता
8	अनुसंधान एवं उत्पाद विकास (ईपीसी/टीपीबी)	सीमा : 1 करोड रूपए हिस्सेदारी (i) 65 % : 35 %	शून्य
9.	गुणवत्ता के उन्नयन हेतु क्षमता निर्माण (गुणवत्ता प्रमाणीकरण, प्रयोगशाला , सामान्य सुविधा केंद्र , सामान्य डिजाइन केंद्र की स्थापना) (ईपीसी/टीपीबी)	सीमा : प्रति केंद्र 1 करोड रूपए हिस्सेदारी : (i)65 % : 35 %	तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10 लाख रूपए तक की आवती लागत
10	निर्यातकों का क्षमता निर्माण (ईपीसी/टीपीबी)	सीमा: प्रति परियोजना पर 50 प्रति वर्ष लाख रूपए हिस्सेदारी : 50 % : 50 %	शून्य
11	क्रेता देश में वैधानिक अनुपालन (व्यक्तिगत निर्यातक)	सीमा: प्रति निर्यातक प्रति वर्ष 50 लाख रूपए	(i) विदेशी प्राधिकारी को किए गए भुगतान का प्रमाण (ii) उत्पाद प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर संबंधित ईपीसी/ एफआईईओ को सभी प्रकार से पूर्ण एवं भरा हुए दावा प्रपत्र प्रस्तुत किया जाए ।
12	पाटनरोधी, धन शोधन रोधी और अन्य जांच/अनुपालन	सीमा: प्रत्येक मामले में 200 लाख रूपए	ईसी द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

	(ईपीसी/टीपीबी/व्यक्तिगतनिर्यातक)	हिस्सेदारी : 50 %:50 %	
13	ऑन लाइन पोर्टल आदि का विकास करना	सीमा: 2 करोड रूपए प्रति वर्ष	
14	बाजार अध्ययन (ईपीसी/टीपीबी/डीओसी)	सीमा : प्रत्येक अध्ययन के लिए 1 करोड रूपए हिस्सेदारी : यदि ईपीसी/टीपीबी द्वारा आरंभ किए गए हों तो 65 % : 35 % (ii) यदि वाणिज्य विभाग द्वारा आरंभ किए गए हो तो 100 %	

6.2 वित्तीय सहायता जारी करना : निधि दो किश्तों में उपलब्ध कराई जाएगी । स्थान इत्यादि की समय पर बुकिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु 1 किश्त अनुमोदित लागत के 50 प्रतिशत तक दी जा सकती है । दूसरी एवं अंतिम किश्त कार्यक्रम के पूरा होने के दो माह के भीतर परिणामी रिपोर्ट/उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं सी ए द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षा विवरणी (अन्य के साथ साथ निधि का स्त्रोत दर्शाया गया हो) प्रस्तुत करने के उपरांत ही दी जाएगी । इस संबंध में चूक होने की स्थिति में यदि कोई अग्रिम अनुदान दिए गए हों तो ब्याज सहित वापस लौटाया जाए । उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में बार – बार चूक होने पर संबंधित ईपीसी/टीपीबी को एम ए आई सहायता के लिए अयोग्य /इससे वंचित कर दिया जाएगा । 60 दिनों से अधिक समय के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र, परिणाम रिपोर्ट आदि प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में 10 प्रतिशत की कटौती कर ली जाएगी (संपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली आरंभ होने के बाद से यह लागू होगा) ।

6.3 देश से बाहर मेगा कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए जहां पहले से स्थान सुविधा बूथ स्थान की बुकिंग इत्यादि को सुकर बनाने हेतु जिस वर्ष में कार्यक्रम का आयोजन होना है, उस वित्तीय वर्ष से 2 वर्ष पहले से ही अनुमोदन प्राप्त करना एवं निधि प्राप्त करना संभव होगा । मेगा आर बी एस एम को भी इसी प्रकार से अग्रिम निधि प्रदान की जा सकती हैं ।

6.4 जहां ई सी द्वारा अनुमानित या अनुमोदित भागीदारों की संख्या कम होगी ऐसे मामलों में निम्नानुसार दण्डात्मक कटौती अधिरोपित की जाएगी:

क्रम सं.	कार्यक्रम में अनुमानित प्रतिभागियों की संख्या और वास्तविक भागीदारी के बीच भिन्नता का स्तर	दण्डात्मक कटौती
1	0- 10 प्रतिशत के बीच भिन्नता	शून्य
2	11.20 प्रतिशत के बीच भिन्नता	यथानुपात कटौती

3	21-50 प्रतिशत के बीच भिन्नता	यथानुपात कटौती + यथानुपात राशि में 20 प्रतिशत की कमी द्वारा
4	51-80 प्रतिशत के बीच भिन्नता	यथानुपात कटौती + यथानुपात राशि में 50 प्रतिशत की कमी द्वारा
5	80 प्रतिशत से अधिक के बीच भिन्नता	जारी किए गए संपूर्ण एम ए आई अग्रिम की वसूली

6.5 सामान्यता 25 लाख तक की लागत के अध्ययन प्रस्तावों पर नामांकन आधार पर विचार किया जा सकता है संबंधित प्रभाग ऐसे नामांकनों के प्रस्ताव की संस्तुति करते समय आधार/औचित्य दर्शाएंगे ।

6.6 25 लाख से अधिक के लिए टेंडर प्रक्रिया आवश्यक होगी । ऐसे मामलों में, प्रभाग सैद्धांतिक रूप में एस सी की संस्तुति प्राप्त कर सकता है और उसके बाद एजेंसी के चयन का प्रक्रिया आरंभ की जाएगी ।

भाग - IV निगरानी एवं मूल्यांकन

<u>गतिविधियों की निगरानी एवं मूल्यांकन पर सामान्य दिशा- निर्देश :-</u>

7.1 योजना के अंतर्गत किया गया भुगतान की लेखा परीक्षा भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक एवं भारत सरकार द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य स्त्रोतों के अधीन होगी ।

7.2 इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का भारत सरकार द्वारा भौतिक सत्यापन एवं यथा उपयुक्त अन्य ऐसी जांच की जाएगी।

7.3 इस योजना का लाभ उठाने वाला कोई संगठन/निर्यातक /व्यापारी /कंपनी भारत की विदेश व्यापार नीति या किसी निर्यात और आयात व्यवसाय से संबंधित किसी अन्य नियम के तहत जांच/आरोप/अभियोग/प्रतिबंध/ब्लैक लिस्टिड नहीं किए गए हों ।

<u>कार्यक्रमों की निगरानी</u>

<u>संगठन की वेबसाइट पर लाभार्थी के विवरण की प्रदर्शनी -</u> ई सी के कार्यवृत्त के परिचालन के बाद कार्यवृत्त प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित ई पी सी / व्यापारिक निकाय की वेबसाइट पर एम ए आई सहायता सहित कार्यक्रमों में भागीदारी का विवरण प्रस्तुत किया जाए । यहां प्रतिभागियों की चयन का पारदर्शी मानदण्ड , अंतिम तिथि सहित स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए । ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया के आधार पर यथास्थिति सदस्यों / निर्यातकों / व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं । प्रतिभागियों का चयन पूर्व निर्धारित मानदण्डों पर पारदर्शी ढंग से किया जाए ।

8.2 **<u>प्रतिभागियों की गुणवत्ता</u>** :- सभी कार्यक्रमों के लिए संगठन द्वारा भागीदारों की गुणवत्ता की प्रकृति पर आवश्यक सावधानी बरती जाए और प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय संबंधित संगठनों द्वारा इसे प्रमाणित किया जाना चाहिए । इसी प्रकार , कार्यक्रम के बाद प्रस्तुत प्रथम रिपोर्ट (परिणाम रिपोर्ट) में प्रतिभागियों की कंपनियों का प्रत्यय पत्र एवं ईपी सी /व्यापार निकाय द्वारा प्रत्यय पत्रों को सत्यापित करने के लिए उठाए गए कदमों को दर्शाया जाए । प्रदर्शक का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ व्यक्त्ियोंद्वारा किया जाए और कार्यक्रम में उत्पादों को प्रदर्शित (केवल कैटेलॉग और ब्रोशर नहीं) किया जाए । इसी प्रकार , यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आर बी एस एम में भाग लेने वाले विदेशी क्रेता निदेशक/वरिष्ठ अधिकारी /सोर्सिंग एजेंट इत्यादि के स्तर के हों ।

8.3 **<u>प्रतिभागियों के विवरण प्रस्तुत करना :-</u>** ई पी सी / व्यापार निकाय द्वारा प्रदर्शकों द्वारा संवर्धित / मार्केटिड उत्पादों के संबंध में 6 अंकों का एच एस कोड उपलब्ध कराया जाए , कार्यक्रमों में भाग लेने वाले निर्यातकों का विवरण , पदनाम सहित प्रतिभागी का नाम, निर्यातक कंपनी का नाम, आई ई सी संख्या और अथवा निर्यातक कंपनी का आर सी एम सी और कंपनी निदेशक की डी आई एन संख्या और आर बी एस एम के मामले में , क्रेताओं का प्रोफाइल जैसे क्रेता का नाम, पदनाम सहित, कंपनी का नाम , देश इत्यादि कार्यक्रम आरंभ होने के 10 दिन पहले उपलब्ध कराया जाए ।

8.4 संगठन द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली लेखा परीक्षित विवरणी में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे :-

(क) प्रदर्शकों से प्राप्त निधि -

(ख) एम ए आई से प्राप्त निधि -

(ग) अन्य स्त्रोतों से प्राप्त निधि

(प्रस्तुत किए गए विवरण का संगठन के नामित प्राधिकारी या कार्यकारी निदेशक सत्यापित करेंगे ।)

8.5 **<u>परिणामी रिपोर्ट:</u>** ई पी सी और व्यापार निकाय बाजार में उत्तर / प्रतिक्रिया / प्रभाव सहित स्पष्ट परिणाम को दर्शाने के लिए एक तंत्र का विकास करेंगे । कार्यक्रम की परिणाम रिपोर्ट व्यवसाय रूझानों को दर्शाएगी । इसमें विक्रेता द्वारा प्राप्त लाभों/व्यवसाय को भी शामिल किया जाएगा । इसमें कार्यक्रम में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिभागियों की संख्या को निरपवाद रूप से शामिल किया जाएगा जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि इनमें से कितने स्व-सहायता प्राप्त हैं और कितने सरकारी सहायता प्राप्त हैं इनका ऑनलाइन तंत्र में विहित प्रपत्र में परिणाम रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । (अनुबंध - VIII)

8.6 कार्यक्रम की विडियों क्लिपिंग प्रस्तुत करना : ई पी सी / व्यापारिक निकाय द्वारा कार्यक्रम की विडियों क्लिपिंग प्रस्तुत की जाए जिसमें इसके स्टॉल एवं आस पास के क्षेत्र शामिल होने चाहिएं और सरकार के अनुदानों का पूर्ण उपयोग का दस्तावेजी प्रमाण सुनिश्चित किया जाना चाहिए । ई पी सी द्वारा इलैक्ट्रॉनिक रूप से क्लिपिंग प्रस्तुत करने के लिए वैबकैम का प्रयोग किया जा सकता है ।

<u>बाजार अध्ययन की निगरानी :-</u>

9.1 एम ए आई अथवा वाणिज्य विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों के दौरान किए गए सभी अध्ययनों का डेटाबेस का ऑनलाइन एम ए आई पोर्टल पर रख रखाव एवं

अपलोड किया जाएगा । ई पी एल / टी पी डी / एम ए आई डिवीजन इस उद्देश्य के लिए समन्वय करेगी और सभी संबंधितों को तैयार संदर्भ हेतु वाणिज्य विभाग के इन्ट्रानेट पर प्रस्तावों की श्रेणी वार सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए टैरिफ आयोग के अध्ययन भी शामिल किए जाएंगे ।

9.2 ऐसी सभी अध्ययनों की रिपोर्ट अध्ययन के पूरा होने के बाद संबंधित प्रभाग द्वारा लाइन मंत्रालयों के साथ तुरंत साझा की जाएगी । इसमें विदेश मंत्रालय भी शामिल होगा, जहां विदेश मंत्रालय लाइन मंत्रालय है । संबंधित प्रभागों द्वारा विभागीय पोर्टल पर भी अध्ययनों को होस्ट किया जाएगा ।

<u>अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति</u>

10.1 सरकार कुछ प्रमुख एमएआई कार्यक्रमों में भागीदारी, ब्राण्डिंग की गुणवत्ता आदि पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अधिकारी प्रतिनियुक्त कर सकती है । प्रतिनियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी को यात्रा से वापसी पर निर्धारित प्रारूप (अनुबंध – IX) में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी ।

10.2 अधिकारी को (i) कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया और सुधार के लिए सुझाव तथा (ii) सामान्य व्यापार के मुद्दों जो उन बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें वाणिज्य विभाग द्वारा सम्बोधित किए जाने की आवश्यकता है, पर वन टू वन बातचीत के लिए देश में भारत के दूतावास में अपने समकक्ष से मुलाकात करनी चाहिए ।

10.3 कार्यक्रम में भाग लेने वाले क्रेता और विक्रेता के साथ मिशन के प्रमुख के स्तर पर बातचीत की व्यवस्था के लिए अधिकारी को ईओएल के साथ समन्वय करना होगा । यह एक सामूहिक बी 2 बी सत्र होगा जिसमें कार्यक्रम में भाग लेने वाले क्रेता और विक्रेता को संघटित किया जाएगा और संबंधित सभी हितधारकों के साथ सम्न्वय में इसे कार्यक्रम के क्रिया कलापों के हिस्से के रूप में संरचित किया जाएगा ।

<u>निष्पादन मूल्यांकन</u>

1. प्रत्येक ईपीसी/टीपीबी का निष्पादन का मूल्यांकन निम्न के अनुसार निर्धारित किया जाएगा :

(i) कार्यक्रम में किसी भी परिवर्तन के लिए नकारात्मक अंक के साथ स्वीकृत और संचालित किए गए कुल कार्यक्रम ;

(ii) कार्यक्रम में आगंतुको की संख्या का पता लगाने के लिए आगंतुक बैज में अंत: स्थापित आरएफआईडी चिप्स जैसी तकनीक का उपयोग

(iii) अंतरराष्ट्रीय दर्जे के कार्यक्रमों (अंतर्राष्ट्रीय मेलों के संघ (यूएफआई) /सेंट्रेक) में सहभागिता के लिए प्रोत्साहन

(iv) कार्यक्रम व्यय: सृजित व्यापार अनुपात

(v) कार्यक्रम के पूर्व एवं पश्चात औसत बाजार हिस्से (2 वर्ष का औसत) में गमनागमन पर आधारित बाजार हिस्से में परिवर्तन

****

अनुबंध- I
(ऑनलाइन फार्म का नमूना)

भारत में कार्यक्रमों के लिए आवेदन पत्र
(आरबीएसएम)

1	संगठन का नाम (ड्रॉप डाउन मेनू)	
2	कार्यक्रम का नाम, यदि कोई हो	
3	क्षेत्र / पण्यवस्तु (ड्रॉप डाउन मेनू)	
4	शहर / स्थान	
5	कार्यक्रम की तिथि ; _____ से_____तक (कैलेंडर)	
6	क्या आप इस कार्यक्रम के लिए अग्रणी संगठन हैं	हॉ/ना
7	सहयोगी संगठन, यदि कोई हो (सभी संगठन) (ड्रॉप डाउन मेनू)	
8	प्रस्तावित क्रिया –कलाप (ड्रॉप डाउन मेनू) - बीएसएम - प्रदर्शनी - तकनीकी सेमिनार / सत्र - नियामकों की बैठक - एनटीबी पर सत्र	
9	प्रतिभागियों की संख्या (ए) भारतीय प्रदर्शक (राज्य–वार) (ड्रॉप डाउन मेन्यू) (ख) विदेशी क्रेता (क्षेत्रवार ब्रेक अप) (डाउन मेनू)	

10	वित्तीय	मदें	अनुमानित व्यय (लाख रु. में)	प्रार्थित राशि (लाख रु. में)	स्वीकार्य राशि (लाख रु. में)
		स्थान एवं आयोजन लागत			
		प्रचार			
		विदेशी क्रेताओं के लिए हवाई किराया और होटल में ठहरना			
		अन्य			
		कुल			

1 1.	क्या पहले परियोजना के लिए सहायता प्राप्त की गई थी	

11 (ए)	पिछले 3 संस्करणों का विवरण	वर्ष	भारतीय सहभागिता	विदेशी क्रेता	एमएआई सहायता (लाख रु. में)	सृजित व्यापार (लाख रु. में)

12.	अंतिम संस्करण का विशिष्ट परिणाम	
12 ए	क्या कार्यक्रम का मूल्यांकन विश्व स्तर पर किया गया है ।	

12 ख	एचएस कोड के साथ उत्पादों / क्षेत्रों को दर्शाए		उत्पाद	एचएस कोड (2 अंक)

12 ग 1	स्वीकृत प्रतिभागी	
12 सी 2	वास्तव में सहभागिता करने वाले प्रतिभागी	
12 सी 3	निधि का उपयोग	अनुमोदित .....वास्तविक खर्च .....

12 सी 4	विगत 3 वर्षो में स्वीकृत कार्यक्रमों की कुल संख्या		वर्ष	स्वीकृत कार्यक्रमों की संख्या	वास्तव में आयोजित कार्यक्रमों की संख्या

अनुलग्नक– II

(ऑनलाइन फॉर्म का नमूना)

विदेश में कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र

1	संगठन	
2	कार्यक्रम का नाम	
3	क्षेत्र / पण्यवस्तु	
4	प्रदेश / देश	
5	कार्यक्रम की तिथि: _____से _____ तक (कैलेंडर)	
6	क्या आपने इस कार्यक्रम के लिए पहले कोई वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है ?	हॉ/नही
7	(क) यदि नहीं – तो आगे बढ़ें (ख) यदि हां – कितनी बार (यदि 3 से कम है, तो आगे बढे अथवा रोक दें) (ग) पिछली प्रस्तुत की गई परिणाम रिपोर्टों से अधिक विवरण प्राप्त करें ।	
8	क्या आप इस कार्यक्रम के लिए अग्रणी संगठन हैं?	हॉ/नही

9	सहयोगी संगठन, यदि कोई हो,	
10.	प्रस्तावित क्रियाकलाप	
	- बीएसएम - प्रदर्शनी - तकनीकी सेमिनार / सत्र - नियामकों की बैठक - एनटीबी पर सत्र	
1 1	भारतीय प्रदर्शकों और विदेशी आगंतुकों की प्रत्याशित संख्या	

12 वित्तीय

मदें	अनुमानित व्यय (लाख रु. में)	प्रार्थित राशि (लाख रु. में)	स्वीकार्य राशि (लाख रु. में)
स्थान एवं आयोजन लागत			
प्रचार			
भारतीय प्रदर्शकों के लिए हवाई किराया			
अन्य			
कुल			

13 एमएआई सहायता से वित्त पोषित पिछले संस्करणों का विवरण

वर्ष	भारतीय प्रदर्शक	एमएआई सहायता (लाख रु. में)	सृजित व्यापार (लाख रु. में)

14 पिछले संस्करणों का परिणाम (यदि लागू हो)

क्षेत्र	वर्ष	मिलियन अम.डा. में निर्यात	भारतीय प्रदर्शकों की संख्या

अनुबंध- III

वाणिज्य विभाग

****

एमएआई के तहत बाजार अध्ययन प्रस्तावों के लिए आवेदन पत्र

1	अध्ययन का शीर्षक: *(अधिकतम 100 शब्द)*	
2	क. चयनित संगठन :	
	ख. क्या जीएफआर प्रावधानों का पालन करते हुए नामांकन द्वारा या चयन द्वारा	
	ग. नामांकन द्वारा चयन के मामले में, नामांकन के लिए औचित्य *(250 शब्दों से अधिक नहीं)*	
3	अध्ययन के लिए समर्पित की जाने वाली प्रस्तावित टीम और टीम के सदस्यों का पिछला अनुभव : *(500 शब्दों से अधिक नहीं करें अधिक विवरण अलग से संलग्न करें)*	
4	डीओसी में संबंधित प्रभाग :	
5	अध्ययन का उद्देश्य: *(अधिकतम 100 शब्द)*	
6	संक्षिप्त विवरण / औचित्य: *(अधिकतम 200 शब्द)*	
7	अध्ययन की अवधि *(दिनों / महीनों में)*	
8	प्रस्तावित पद्धति: *(अधिकतम 150 शब्द)*	

9	नमूने का आकार *(यदि कोई सर्वेक्षण शामिल है) :* *(अधिकतम 50 शब्द)*	
10	क. अनुमानित व्यय: (लाख रूपये में)	
	ख. अपेक्षित फंडिंग (लाख रुपए में)	
	प्रभाग की टिप्पणियाँ	
1	संबंधित प्रभाग की सिफारिश: *(अधिकतम 150 शब्द)*	
2	एमएआई पात्रता (प्रासंगिक योजना प्रावधानों के तहत)	
3	पिछले 5 वर्षों में किया गया पूर्ववर्ती अध्ययन *(यदि कोई हो) :* *(संबंधित विषय पर)*	

i (विस्तृत आलेख, दो पृष्ठों से अधिक नहीं आवेदन के साथ अलग से संलग्न करें)।

ii प्रस्तावित टीम के सदस्यों का विस्तृत कार्य अनुभव अलग से संलग्न करें । (1 पृष्ठ)

****

अनुबंध-IV

एमएआई योजना की उप-समिति की संरचना।

***

एमएआई योजना की उप समिति की संरचना, जिसे शक्ति प्राप्त समिति के समक्ष रखने से पहले प्रस्तावों की जांच करने के लिए गठित किया गया था वह इस प्रकार है: -

(i) संयुक्त सचिव (एमएआई), विभाग वाणिज्य
(ii) संयुक्त सचिव, आईटीपी, विदेश मंत्रालय
(iii) संयुक्त सचिव, प्रशासनिक प्रभाग, वाणिज्य विभाग / वस्त्र मंत्रालय
(iv) संयुक्त सचिव / निदेशक, वित्त, विभाग वाणिज्य

2. बाजार अध्ययन संचालित करने के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित को उप समिति के अतिरिक्त सदस्यों के रूप में सहयोजित किया जाएगा :

(i) आर्थिक सलाहकार (ईपीएल II)
(ii) संयुक्त सचिव, व्यापार नीति प्रभाग, वाणिज्य विभाग या उनके नामांकित व्यक्ति
(iii) प्रमुख, डब्ल्यूटीओ अध्ययन केंद्र आईआईएफटी ।

****

अनुलग्नक- V

वाणिज्य विभाग

ई और एमडीए डिवीजन

****

एमएआई के तहत वित्तपोषण के लिए सेवाओं / वस्तुओं के लिए एजेंसी-वार वितरण

संगठन	आरबीएसएम	सेवाएं	वस्तुएं
एसोचैम	कृषि / मछली पालन / प्रसंस्कृत खाद्य / एग्री- टेक (अफ्रीका)	शून्य	- एग्री / मरीन / फूड (टीपीसीआई के साथ) - एग्री -टेक - प्लास्टिक - इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स - रक्षा और गृह सुरक्षा (आईसीसी के साथ)
सीआईआई	परियोजना निर्यात (अफ्रीका)	- शिक्षा - मनोरंजन - आतिथ्य और पर्यटन (पीएचडीसीसीआई के साथ)	- परियोजना निर्यात - अभियांत्रिकी - निर्माण/ बिल्डिंग सामग्री
फिक्की	- टेकनोटेक्स - वृक्षारोपण - आयुष सेवाएं	स्वास्थ्य देखभाल	- वस्त्र मशीनरी (आईसीसी के साथ) - वस्त्र / स्वास्थ्य देखभाल
आईसीसी	टेकनोटेक्स	शून्य	- ऊर्जा / विद्युत - रक्षा और गृह सुरक्षा एसोचैम के साथ) - वस्त्र - नवीकरण ऊर्जा

पीएचडीसीसीआई	आईएमटीओएस (इंजी.)	आतिथ्य और पर्यटन (सीआईआई के साथ)	- उपहार /घरेलू सामान / यात्रा / सौंदर्य / स्वास्थ्य - मुद्रण और पैकेजिंग
टीपीसीआई	फूड शो	शून्य	- रसायन - दूरसंचार / आईटी - कार्बनिक भोजन
फियो		संभारतंत्र और पेशेवर सेवाएं	- बहु उत्पाद
आईटीपीओ		शून्य	- बहु उत्पाद

****

अनुबंध–VI

वाणिज्य विभाग
****

<u>एक से अधिक एजेंसी भागीदारी के साथ 2017-18 के एमएआई कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश *(संयुक्त भागीदारी)*</u>

<u>अग्रणी एजेंसी की भूमिका</u>

i इसमें शामिल अन्य एजेंसियों से आवश्यकता का पता लगाने के बाद कुल क्षेत्र किराए पर लेना ।

ii मंडप / बूथ / फेशिया आदि का सामान्य डिजाइन, ब्रांडिंग के रूप में, जैसा कि विभाग / आईबीईएफ द्वारा अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श से तय किया गया है।

iii संबंधित दूतावास से समर्थन और सहयोग का अनुरोध करने के लिए समन्वय के संबंध में एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करना।

<u>सभी एजेंसियों की संयुक्त जिम्मेदारी</u>

i सुनिश्चित करें कि भारत के नाम से भागीदारी की जाए और एकल कार्यक्रम के रूप में विपणन किया जाए ।

ii व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने के लिए खाते, परिणाम रिपोर्ट आदि सहित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना प्रस्तुत, जैसा कि भागीदारी की शर्तों पर संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया हो तथा विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

iii सुनिश्चित करें कि कार्यक्रम के सत्र के दौरान इंडिया ब्रांड / छवि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा हो । (*व्यक्तिगत* पवेलियन का अलग से विपणन/प्रायोजन नहीं करना)

<u>एजेंसियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी</u>

i. स्थान किराए पर लेने के लिए शीर्ष एजेंसी को अग्रिम में अपेक्षित स्थान के लिए लिखित में प्रतिबद्धता

ii. एजेंसी पर ध्यान दिए बगैर प्रतिभागियों से धनराशि संग्रह के लिए एक समान पैटर्न तय करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना ।

iii. सभी मुद्दों को सौहार्दपूर्वक सुलझाना। यदि आवश्यक हो,तो वाणिज्य विभाग में संबंधित प्रभाग के साथ बैठकें की जा सकती हैं।

iv. सुनिश्चित करें कि निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कार्यक्रम के दो महीनों के भीतर खातों को अंतिम रूप दिया गया है। पृथक एजेंसी को अलग से अपने खातों को अंतिम रूप देने के बारे में विभाग को सूचित करने के लिए स्वतंत्र है।

v. प्रतिबद्ध प्रतिभागियों के स्थान / संख्या के लिए जिम्मेदारी लेना(दंडात्मक में कटौती, यदि कोई हो तो संबंधित स्थान / प्रतिभागियों के लिए व्यक्तिगत एजेंसी पर होगी)।

vi. एमडीए घटक के लिए, जहां लागू हो, खातों का संबंधित एजेंसी (ईपीसी) द्वारा रखरखाव किया जाएगा तथा इसे योजना के प्रचालित प्रावधानों के अनुसार विभाग को प्रस्तुत किये गये खातों में शामिल किया जाएगा ।

[विभाग एक औपचारिक अनुमोदन जारी करेगा तथा पृथक एजेंसियों/अग्रणी एजेंसी को स्वीकृति राशि जारी की जाएगी जैसा कि कार्यक्रम के भागीदार सहमत होंगे ।]

****

अनुबंध-VII

वाणिज्य विभाग

******

एमएआई के तहत अध्ययन करने के लिए संगठनों की सांकेतिक सूची

क्रम सं	संगठन का नाम
1	सभी आई.आई.एम.
2	आईआईटी कानपुर
3	आईआईटी खड़गपुर
4	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
5	एक्ज़िम बैंक
6	आईसीआरआईईआर
7	आईआईएफटी (सीडब्लूटीओएस सहित)
8	आईएल एंड एफएस
9	आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी)
10	आईएसआईडी
1 1	एनसीटीआई
12	आरआईएस
13	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद
14	एनसीएईआर
15	एनआईपीएफपी
16	आईजीआईडीआर, मुंबई
17	गोखले संस्थान, पुणे
18	सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली
19	कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीयूएसएटी)
20	इंडियन कलेक्टिव ईन सपोर्ट ऑफ फिश वर्कर
21	सेंटर फॉर डेव्लपमेंट', त्रिवेंद्रम
22	मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, चेन्नई
23	सीएसआईआर

****

अनुबंध–VIII

वाणिज्य विभाग

ई एण्ड एमडीए प्रभाग

*****

एमएआई वित्त पोषण के साथ आयोजित कार्यक्रम के परिणाम के लिए प्रोफार्मा

1. कार्यक्रम का नाम :
2. कार्यक्रम का उद्देश्य (अनुमानित परिणाम के साथ) :
3. देश:
4. आयोजन की तिथि :
5. ईसी की मंजूरी (संक्षेप में) :
6. (क) मंजूर की गई सहायता :
   (ख) पहली किस्त जारी होना (रूपये में)
   (ग) दूसरी किस्त, अगर कोई हो (रुपये में) :
   (घ) जारी की जाने के लिए लंबित शेष राशि (रूपये में)
7. कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :
8. भारतीय प्रतिभागियों के विवरण :
   (I) प्रतिभागियों की संख्या:
   (ii) आयात निर्यात के साथ प्रत्येक प्रतिभागी की संक्षिप्त विवरणिका कोड (आईईसी) संख्या (संलग्न किए जाने वाले)
   (iii) प्रतिभागियों की प्रतिपुष्टि (संक्षेप में) :
      (ए) सकारात्मक अनुक्रिया:
      (ख) सुझाव / संदर्शित विकास
9. क्रेताओं/ आगंतुकों के विवरण
   (I) आगंतुकों / विदेशी क्रेताओं की संख्या :
   (ii) आगंतुकों / क्रेता का संक्षिप्त विवरण :
   (iii) आगंतुकों की प्रतिपुष्टि (संक्षेप में) :
10. सृजित व्यवसाय :
   (I) पूछताछ की संख्या :
   (ii) बातचीत की गई / हस्ताक्षरित एमओयू की संख्या (अगर कोई हो)
   (iii) बुक किए गए ऑर्डर:
   (iv) कुल सृजित व्यवसाय :

11. देश / उत्पाद की निर्यात क्षमता पर संक्षिप्त नोट (उद्योग की प्रतिपुष्टि के अनुरूप) :

12. परिषद / व्यापार संगठनों द्वारा परिणाम विश्लेषण (उपलब्धियों एवं व्यापार लाभों, विफलता आदि को प्रतिबिंबित करते) :

13. साक्ष्य के रूप संलग्न फोटो (संलग्न किए जाने वाले रंगीन फोटो) :

******

अनुबंध – IX

विदेशों में आयोजित कार्यक्रमों के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा तैनात अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग के लिए प्रारूप

आयोजन का नाम .....
(दिनांक/अवधि)

क्र. संख्या	**विवरण**	**टिप्पणी / प्रेक्षण**
1.	आयोजन (एजेंसी) का नाम	
2.	कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण:	
क.	घटना की अवधि:	वार्षिक / द्विवार्षिक / अन्य अगर है तो *कृपया निर्दिष्ट करें)*
ख.	कार्यक्रम में शामिल क्षेत्र *(30 शब्द से अधिक नहीं)*	
ग.	भारत मंडप का आकार (वर्गमीटर) :	
3.	प्रदर्शनी विवरण:	
क.	प्रदर्शकों की कुल संख्या	
ख.	पिछले संस्करण में आगंतुकों की कुल संख्या	
ग.	*भारतीय प्रदर्शकों की संख्या: (प्रतिभागिता की गुणवत्ता पर अधिकारियों की टिप्पणियों का भी संकेत दिया जाए)*	
4.	क्या स्थानीय भारतीय मिशन से संपर्क किया गया	हाँ / नहीं
5.	भारतीय मिशन अधिकारी जिसने कार्यक्रम में उद्घाटन / अंत:संवाद के लिए भारत मंडल का दौरा किया	
6.	बूथों की गुणवत्ता पर टिप्पणियाँ:	

7.	प्रदर्शित नमूनों की गुणवत्ता:	
8.	फेसिया की गुणवत्ता	
9.	कार्यक्रम से पूर्व किया गया प्रचार	
10.	प्रतिभागी निर्यातकों की प्रतिपुष्टि	
11.	भाग लेने वाले प्रमुख देश	
12.	शो के साथ साथ आयोजित संगोष्ठी / अंत:संवाद बैठकें	
13.	क्या आवृत प्रतिभागिता की अनुशंसा की गई है (*कारणों के साथ) :*	

आर/ओ संयुक्त कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण प्रेक्षण (एक से अधिक एजेंसी की प्रतिभागिता

14.	क्या साधारणतया वाणिज्य विभाग के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है :	हां/नही
क.	एजेंसियों के बीच समन्वय:	संतोषजनक / अच्छा / निम्न
ख.	कार्यक्रम की ब्रांडिंग (कॉमन फेसिया इत्यदि)	
ग.	संयुक्त प्रतिभागिता पर दूतावास के विचार:	
घ.	संयुक्त प्रतिभागिता पर प्रतिभागियों के विचार (*औचक साक्षात्कार)*	

<u>अधिकारी की प्रेक्षणों का सारांश</u>

(*100 शब्दों से अधिक नहीं)*

<u>एनबी</u>

1. अधिकारी से प्रतिभागियों एवं बूथ के आगंतुकों के साथ व्यापक रूप से परस्पर संवाद की अपेक्षा की जाती है ।

2. टिप्पणियां करते समय दूसरे देशों की प्रतिभागिता पर प्रेक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए ।

******

स. के – 11020 /303/2018 – ई एंड एम डी ए

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
ई एंड एम डी ए प्रभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक 7 जनवरी, 2019

सेवा में,
1. निर्यात संवर्धन परिषद/फियो/आईटीपीओ/ व्यापार संगठन
2. अध्यक्ष, एपीडा

विषय: क्रेता देश में वैधानिक अनुपालनों पर भारतीय निर्यातकों द्वारा उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति से संबंधित बाजार पहुंच स्कीम और एम ए आई स्कीम के तहत वित्त पोषण के लिए शानिर्देश में निहित प्रावधानों का संशोधन

महोदय/महोदया

मुझे इस विभाग के दिनांक 16 फरवरी, 2018 के का.ज्ञा.सं. 11/297/2016 – ई एंड एमडीए द्वारा जारी बाजर पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम, 2018 ' एवं 'एमएआई स्कीम के तहत वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश में निम्नलिखित संशोधन को सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्रेषित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है ।

(क) 'एमएआई स्कीम के तहत वित्तपोषण के लिए दिशानिर्देश के भाग – III का पैरा 6.1 का संशोधन किया जाता है जो अधोलिखित है :

वर्तमान : अधिकतम सीमा : प्रति निर्यातक
सालाना रू. 50 लाख
हिस्सेदारी: 50 प्रतिशत : 50 प्रतिशत

के साथ विस्थापित किया जाना है : अधिकतम सीमा : प्रति निर्यातक सालाना रू. 2 करोड
हिस्सेदारी : 50 प्रतिशत : 50 प्रतिशत

(ख) अधोलिखित अतिरिक्त संघटक को प्रति निर्यातक सहायता की समग्र सीमा के भीतर बाजार पहुंच पहल स्कीम , 2018 के पैरा 4.2 (8) में शामिल है जैसा कि (क) उपरोक्त है :
(i) भेषजी उत्पादों के लिए संयंत्र निरीक्षण शुल्क
(ii) निर्यात खेपों की बार – कोडिंग पर छोटे निर्यातकों (रू. 30 करोड के निर्यातों के एफ.ओ.बी. मूल्य से नीचे) द्वारा उपगत शुल्क (यह प्रति निर्यातक 19.25 लाख की अधिकतम राशि तक सीमित वास्तविक व्यय के भुगतान के लिए एक मुश्त अनुदान होगा) :
(iii) प्राकृतिक उत्पादों के लिए आवश्यक गुणवत्ता प्रमाणन के लिए अदा शुल्क (हर्बल , आयुष उत्पाद , डायटरी सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकलन) :
(iv) कॉस्मेटिक्स उत्पादों के संबंध में पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति
(v) रसायन / कृषि रसायन / सौंदर्य संबंधी उत्पादों के लिए अध्ययन लागत, डाटा खरीद लागत सहित सुविधा लागत का डाटा सृजन/सुविधा लागत पर वर्तमान डाटा पर अनुसंधान डाटा मूल्यांकन लागत, परामर्श लागत, अध्ययन निगरानी लागत इत्यादि एवं

(vi) इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात के लिए भारत में की गई जांच के संबंध में परीक्षण शुल्क

2. स्कीम में अन्य सभी प्रावधान पूर्ववत बने रहेंगे ।

3. एमएआई स्कीम / दिशा निर्देशों में उपरोक्त संशोधन इस पत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

भवदीय

प्रकाश नेवतिया
निदेशक
दूरभाष: 011-23062527

प्रति
(i) सीएस के पीएसओ
(ii) एसएस एंड एफ ए के पीपीएस
(iii) डीजी, डीजीएफटी
(iv) सभी अपर सचिव /संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
(v) जेएस (ई डी) विदेश मंत्रालय
(vi) जेएस , एमएसएमई , एमएसएमई मंत्रालय
(vii) व्यापार सलाहकार , वस्त्र मंत्रालय
(viii) निदेशक, आई आई एफ टी
(ix) सभी क्षेत्रीय / वस्तु प्रभाग , वाणिज्य विभाग